



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092026-276092
CG-DL-E-09092026-276092

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4813]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2026/भाद्र 18, 1948

No. 4813]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2026/BHADRA 18, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2026

सं. 118/2026

का.आ. 5003(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 258 (1) (ख) के अनुपालन में, केंद्र सरकार, एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए सचिव, आईटीई एंड सी, आंध्र प्रदेश सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आयकरदाताओं के बारे में जानकारी साझा करने के संबंध में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 225/84/2024/आईटीए-II]

इंदु बाला, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2026

No. 118/2026

S.O. 5003(E).— In pursuance of section 258(1)(b) of Income-tax Act, 2025, the Central Government hereby specifies Secretary, ITE&C, Government of Andhra Pradesh for the purposes of the said section in connection with sharing of information regarding income-tax payers for identifying eligible beneficiaries under various welfare schemes being implemented by Government of Andhra Pradesh.

[F. No. 225/84/2024/ITA-II]

INDU BALA, Dy. Secy.